प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. -- 226/22 दिनांक -- 09/6/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2013 धाराये – 7
   (ब) अधिनियम – ..... धाराये -- .....
   (स) अधिनियम – ..... धाराये – .....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – .....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 162 समय – 5:30 pm
   ब. अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 23.03.2022 समय – 02.44 पी.एम.
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.03.2022 समय – 09.30 ए.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर पश्चिम 150 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– चौकी लवा पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेंर।
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम -- श्री देवीराम उर्फ देवाराम (ब) पिता/पति का नाम – श्री पदमाराम
      (स) जन्म तिथि/वर्ष – 30 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
      (य) व्यवसाय – ड्राईविंग (र) पता – ग्राम लवा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री दीपाराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी ग्राम विश्नोईया लोहावट जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी लवा पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेंर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शून्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– .....
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

50

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
स्पेशल यूनिट जोधपुर।

विषयः– रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवानें बाबत्।

महोदय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मै " मै देवीराम उर्फ देवाराम पुत्र श्री पदमाराम जाति भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम लवा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर का रहनें वाला हूं। मै ड्राईविंग का कार्य करता हूं। दिनांक 17.03.2022 को मेरे घर के पडौसी श्री जियाराम के साथ मेरे बच्चों एंव परिवार का आपसी झगडा हुआ। जिस पर दिनांक 18.03.2022 को मेरे व मेरे परिवारजनों के विरूद्व पुलिस थाना पोकरण में 151 सीआरपीसी में मुझे व मेरे भाई पुरखाराम, जस्साराम को चौकी इन्चार्ज लवा श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक नें हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। व हमारें तीनों के मोबाईल खुद के पास पुलिस चौकी लवां में ही रख लिये। जिसमें मेरा मोबाईल नम्बर 6375845305 है। जो वीवों कम्पनी का है। दिनांक 19.03.2022 को हम तीनों भाई जमानत पर बाहर आये। बाहर आनें के बाद जब मै चौकी इन्चार्ज लवा श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के पास गया तों उसनें कहा कि रिपोर्ट में अभी तक तुम्हारें चार पांच के रिश्तेदारों के नाम और है। उनकों भी मै गिरफ्तार करूगां व एवं तुम्हारें मोबाईल वापस लनें हो एवं रिश्तेंदारों के खिलाफ कार्यवाही नही करानीहो तों 50000 रूपयें की व्यवस्था करके चौकी पर आ जाना। मैनें उनसें कई बार प्रार्थना की कि रिपोर्ट झूठी दी गई है। हमनें कोई झगडा नही किया। मैने अपनी लिखित रिपोर्ट दी लेकिन चौकी इन्चार्ज नें रिपोर्ट नही ली और कोई सुनवाई नही की। तब मैनें वकील के मार्फत कोर्ट से रिपोर्ट भेजनें की कार्यवाही की। पिछलें दो तीन दिन से श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक मुझे धमका रहा है कि 50000 रूपयें लोकर दे दे ताकि मै कोई तुम्हारें व तुम्हारें परिवार के विरूद्व कानूनी कार्यवाही नही करूगा एवं तुम्हारें मोबाईल भी तुम लोगों को सुपर्द कर दूंगा। श्रीमान श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी इन्चार्ज लवा पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेंर द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि मै नही देना चाहता हूं। बल्कि रिश्वत राशि लेतें हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक से ना ही कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही है। एवं ना ही कोई लेन देन बकाया है। मेरे प्रार्थना पत्र कानूनी कार्यवाही करावें। मै मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति साथ दे रहा हू। मै वर्तमान में मेरे मां का फोन नम्बर 8890863306 उपयोग में ले रहा हू।"

दिनांक 23.03.2022

भवदीय
एसडी
देवाराम उर्फ देवीराम
जाति भील निवासी ग्राम लवां
तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
मोबाईल नम्बर 8890863306

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 23.03.2022 समय 09.30 ए.एम.

इस समय परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम पुत्र श्री पदमाराम उपरोक्त रिपोर्ट लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। उपरोक्त रिपोर्ट सें मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

एसडी
(श्री सौरभ पाराशर)
29/03/22

एसडी
(श्री जितेन्द्र मेवाडा)
29/03/22

एसडी
(दुर्गासिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
स्पेशल यूनिट
23/03/22

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 23.03.2022 समय 09.30 ए.एम.

इस समय परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम पुत्र श्री पदमाराम जाति भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम लवां तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर नें कार्यालय में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " मै देवीराम उर्फ देवाराम पुत्र श्री पदमाराम जाति भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम लवा तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर का रहनें वाला हूं। मै ड्राईविंग का कार्य करता हूं। दिनांक 17.03.2022 को मेरे घर के पडौसी श्री जियाराम के साथ मेरे बच्चों एंव परिवार का आपसी झगडा हुआ। जिस पर दिनांक 18.03.2022 को मेरे व मेरे परिवारजनों के विरूद्व पुलिस थाना पोकरण में 151 सीआरपीसी में मुझे व मेरे भाई पुरखाराम, जस्साराम को चौकी इन्चार्ज लवा श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक नें हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। व हमारें तीनों के मोबाईल खुद के पास पुलिस चौकी लवां में ही रख लिये। जिसमें मेरा मोबाईल नम्बर 6375845305 है। जो वीवों कम्पनी का है। दिनांक 19.03.2022 को हम तीनों भाई जमानत पर बाहर आये। बाहर आनें के बाद जब मै चौकी इन्चार्ज लवा श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के पास गया तों उसनें कहा कि रिपोर्ट में अभी तक तुम्हारें चार पांच के रिश्तेदारों के नाम और है। उनकों भी मै गिरफ्तार करूगां व एवं तुम्हारें मोबाईल वापस लनें हो एवं रिश्तेंदारों के खिलाफ कार्यवाही नही करानीहो तों 50000 रूपयें की व्यवस्था करके चौकी पर आ जाना। मैनें उनसें कई बार प्रार्थना की कि रिपोर्ट झूठी दी गई है। हमनें कोई झगडा नही किया। मैने अपनी लिखित रिपोर्ट दी लेकिन चौकी इन्चार्ज नें रिपोर्ट नही ली और कोई सुनवाई नही की। तब मैनें वकील के मार्फत कोर्ट से रिपोर्ट भेजनें की कार्यवाही की। पिछलें दो तीन दिन से श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक मुझे धमका रहा है कि 50000 रूपयें लोकर दे दे ताकि मै कोई तुम्हारें व तुम्हारें परिवार के विरूद्व कानूनी कार्यवाही नही करूगा एवं तुम्हारें मोबाईल भी तुम लोगों को सुपर्द कर दूंगा। श्रीमान श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी इन्चार्ज लवा पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेंर द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि मै नही देना चाहता हूं। बल्कि रिश्वत राशि लेतें हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक से ना ही कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही है। एवं ना ही कोई लेन देन बकाया है। मेरे प्रार्थना पत्र कानूनी कार्यवाही करावें। मै मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति साथ दे रहा हू। मै वर्तमान में मेरे मां का फोन नम्बर 8890863306 उपयोग में ले रहा हू।" परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई। श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 500 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501. व परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम का आपसी परिचय करवाया गया।

वक्त 10.20 ए.एम. पर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को सुपर्द कर परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम व आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम एवं श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को कार्यालय से पुलिस चौकी लवां पुलिस थाना पोकरण के लिए रवाना किया गया। वक्त 08.30 पी .एम.पर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर बताया कि "मै और परिवादी आज सुबह कार्यालय से रवाना होकर आखलिया चौराहा पहुचे। जहां से पोकरण जाने वाली बस में रवाना होकर समय करीब 02.15 पी. एम. पर लवां पहुंचे। मेरे द्वारा परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु पुलिस चौकी लवां के लिए रवाना किया तथा स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने रिकॉर्डिंग बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि पुलिस चौकी लवां में जानें पर श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के बारें में जानकारी करनें पर पोकरण जाना बताया व चौकी पर उपस्थित स्टाफ सें मोबाईल नम्बर लेकर श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक से मोबाईल पर मेरे फोन का स्पीकर ऑन करके बातचीत की तों उनके द्वारा छुट्टी जाना बताया व वापिस सोमवार को आना बताया। इसी दौरान परिवादी के पास समय करीब 2.44 पी.एम. पर आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक का मोबाईल नम्बर 8769268111 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 8890863306 पर फोन आनें पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर में मन् कानि. द्वारा रिकॉर्ड की गई। आरोपी द्वारा पुनः सोमवार को बुलानें पर मन् कानि. नें परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम को श्रीमान के निर्देशानुसार ग्राम लवा में ही छोडकर लवां से समय 04.30 पी.एम. पर बस से

रवाना होकर चौकी पर उपस्थित आया। " जिस पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑन कर उक्त दोनों मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 के बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम व आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के मध्य आंशिक मांग सत्यापन होना पाया गया। आईन्दा पुनः परिवादी व आरोपी के मध्य पूर्ण मांग सत्यापन करवाया जावेगा। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें सुरक्षित अभिरक्षा में अपनें पास रखा।

दिनांक 28.03.2022 वक्त 10.00 ए.एम. पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को सुपर्द कर परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम व आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को पुलिस चौकी लवां पुलिस थाना पोकरण के लिए रवाना किया जाकर हिदायत दी गई कि ग्राम लवां पहुंच कर परिवादी से सम्पर्क कर आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक व परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम के मध्य रिश्वति राशि मांग का सत्यापन करवाकर उपस्थित आवे। वक्त 06.15 पी .एम पर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर बताया कि " मै आज सुबह कार्यालय से रवाना होकर आखलिया चौराहा पहुचा। जहां से पोकरण जाने वाली बस में रवाना होकर समय करीब 01.25 पी.एम. पर ग्राम लवां पहुंचा। जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम बस स्टैण्ड लवां पर उपस्थित मिला। मेरे द्वारा परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु पुलिस चौकी लवां के लिए रवाना किया तथा स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने रिकॉर्डिंग बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि पुलिस चौकी लवां में श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक उपस्थित मिला। श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक व मेरे बीच मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा हमारें विरूद्व दर्ज प्रकरण में नाम निकालने की एवज मे कुल 30000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की गई। मेरे द्वारा कुछ कम करनें का कहनें पर उनके द्वारा 25000 रूपयें रिश्वत राशि लेकर आनें हेतु कहा गया। जिस पर श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर जोधपुर आनें की हिदायत कर ग्राम लवां में ही परिवादी को छोडकर लवां से समय 02.15 पी.एम. पर बस से रवाना होकर चौकी पर उपस्थित आया हूं।" जिस पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑन कर परिवादी व आरोपी के मध्य रूबरू रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम व आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के मध्य मांग सत्यापन होना पाया गया। आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा नाम निकालनें की एजव में परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम से 25000 रूपयें रिश्वत राशि मांग की पुष्टि हुई जिस पर आईन्दा ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें सुरक्षित अभिरक्षा में अपनें पास रखा।

वक्त 06.45 पी .एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को जरिये तहरीर कमांक 474 दिनांक 28.03.2022 के द्वारा दो गवाहों को दिनांक 29.03.2022 को समय प्रातः 6.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद करने हेतु जरिये टेलीफोन अनुरोध किया गया। वक्त 06.55 पी .एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरों स्टाफ की आवश्यकता होनें पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर से श्री भूरसिंह कानि. नम्बर 23 व श्री छैलाराम राम गहलोत कानि. को दिनांक 29.03.2022 को समय 06 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत जरिये टेलीफोन दी गई। वक्त 09.00 पी .एम. पर परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम कार्यालय उपस्थित आया और बताया कि आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा 25000 रूपयें की व्यवस्था हेतु प्रयास किया गया। परन्तु मेरे से 15000 रूपयें की ही व्यवस्था हो पाई है। जिस पर 25000 रूपयें रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होनें पर 15000 रूपयें में ही ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया। परिवादी के पास जोधपुर शहर में रहनें की समुचित व्यवस्था नही होने पर कार्यालय में ही रूकनें की व्यवस्था की गई।

दिनांक 29.03.2022 वक्त 6.00 ए.एम. पर परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम पूर्व से ही कार्यालय में उपस्थित है तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो कार्मिक पूर्व से पाबन्द शुदा बतौर स्वतंत्र गवाह कार्यालय हाजा उपस्थित आये। स्वतंत्र गवाह से परिचय करने पर उन्होने बारी–बारी अपना परिचय श्री जितेन्द्र मेवाडा पुत्र श्री हीरालाल जी मेवाडा जाति मेवाडा उम्र 46 साल निवासी जे.के नर्सिग होम की गली, सरदारपुरा प्रथम सी रोड जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9828016369 एवं श्री सौरभ पारासर पुत्र श्री रविन्द्र पारासर जाति ब्राहमण उम्र 38 साल निवासी 1 डी भगवाननगर बीजेएस कॉलोनी जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8005736877 होना

बताया। जिनका परिचय परिवादी से करवाया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट को पढकर दोनो गवाहान को सुनाई गई और दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की रिपोर्ट के संलग्न फोटो प्रति पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 23.03.2022 एवं दिनांक 28.03.2022 कों परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम एवं श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी लवां पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेंर के मध्य मोबाईल व रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ताओं के मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की जावेगी। इसी दौरान परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम ने रूबरू गवाहान के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को दी जाने वाली रिश्वत राशि कुल 15000 रूपये व्यवस्था करके आपके पास उपस्थित हुआ हूं। इसी दौरान एसीबी चौकी जोधपुर से श्री भूरसिंह कानि. व श्री छैलाराम गहलोंत पूर्व से पाबन्द शुदा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु उपस्थित आये।

वक्त 6.15 ए.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री देवाराम उर्फ देवीराम जाति भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम लवां तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी देवाराम उर्फ देवीराम ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें के 30 नोट कुल राशि 15,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री देवाराम उर्फ देवीराम द्वारा प्रस्तुत नोटों पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 15000 रूपये के नोटो पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री देवाराम उर्फ देवीराम की जामा तलाशी गवाह श्री जितेन्द्र मेवाडा से लिवाई जाकर दो मोबाईल फोन नम्बर 6375845305, 8890863306 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 15000 रूपये जो आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी देवाराम उर्फ देवीराम के पहने हुए कमीज की सामनें की उपर की बांयी जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री देवाराम उर्फ देवीराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर के मोबाईल नं. 9460453110 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे।

वक्त 06.50 ए.एम. पर परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा खर्चे के 10,000 रूपये अपने पास रखे।

वक्त 07.04 ए.एम. पर मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र मेवाडा व श्री सौरभ पारासर, परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री भंवरलाल कानि. 501, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री भूरसिंह कानि. 23, श्री छैलाराम गहलोत कानि. 46,

मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खमाराम कानि. चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से पुलिस चौकी लवा पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेर के लिए रवाना हुए।

वक्त 06.25 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मय हमराहीयान के स्पेशल यूनिट जोधपुर पर उपस्थित आया। और हालात इस प्रकार से है कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के चौकी से रवाना होकर सरकारी वाहन सें समय करीब 09.25 ए.एम. पर बस स्टैण्ड लवां पहुचे। जहां पर परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम को आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक की उपस्थिति के बारें में पुलिस चौकी लवा जाकर गोपनीय रूप सें उसकी चौकी में उपस्थिति पता करनें के लिए रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के गोपनीय रूप सें सरकारी वाहन को खडा करवाकर परिवादी के इन्तजार में मुकीम हुए। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम पुलिस चौकी लवा जाकर आरोपी की उपस्थिति के बारें में पता करके आया और बताया कि आरोपी चौकी क्षेत्राधिकार में ही कहीं राजकार्य वश गया हुआ है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस स्टैण्ड लवा से जोधपुर की तरफ मुख्य राजमार्ग पर 5–7 किलोमीटर गोपनीय स्थान पर सरकारी वाहन को खडा करवाकर आरोपी के चौकी पर आनें के इन्तजार में मुकीम हुए। काफी समय बाद परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम को लवां चौकी के लिए परिवादी के लिए मोटरसाईकिल की व्यवस्था करवाकर चौकी के लिए रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात् परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया और बताया कि चौकी पर 15–20 लोग गाडियों में भरकर आयें हुए है। इस कारण आरोपी से इस समय रिश्वति राशि लेन देन भीडभाड के कारण नही हो पायेगी। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के जोधपुर की तरफ मुख्य राजमार्ग पर ही आरोपी के चौकी पर भीडभाड कम होनें के इन्तजार में खडे रहे। इसी दौरान समय 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम के मोबाईल नम्बर 6375845305 पर आरोपी के मोबाईल नम्बर 8769268111 सें कॉल आनें पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें श्री भंवरलाल कानि. सें उक्त वार्ता कों परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर रिकॉर्ड करवाई गई। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी। उक्त वार्ता में आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक नें परिवादी को बताया कि तू गवाह लेकर नही आया। जिस पर परिवादी नें कहा कि मै ससूराल से सीधा ही आ गया था। मै आउ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी को उसकी निजी मोटर साईकिल सें कानि. श्री भंवरलाल नम्बर 501 से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन करवाकर पुलिस चौकी लवा के लिए रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के पीछे पीछे ही बस स्टैण्ड लवां पहुंचकर बस स्टैण्ड पर अपनी उपस्थिति छिपातें हुए खडे रहे। कुछ समय पश्चात् परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कानि. श्री भंवरलाल सें परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बन्द करवाया जाकर सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में रखा। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी। परिवादी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कों बताया कि आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक नें मुझे कहा कि तू दो गवाह लेकर घण्टे भर में चौकी पर आ जा। मै घण्टे भर मे पोकरण जाकर वापिस आ रहा हू। जिस पर परिवादी नें बताया कि मेरा घर यहां से 5–6 किलोमीटर दूर ही है। मुझे गवाह लेनें हेतु घर पर जाना होगा। जिस पर गवाह श्री जितेन्द्र मेवाडा से परिवादी के कमीज की उपर की बायी जेब में रखी रिश्वत राशि को एक कागज के टुकडे में रखवाई जाकर रिश्वति राशि को सरकारी वाहन के डेस बोर्ड में रखवाई गई। व परिवादी को अपनें निजी मोटर साईकिल सें रूखसत कर हिदायत दी गई कि दोनों गवाह को चौकी पर ले जानें हेत तैयार कर पुनः एसीबी टीम के पास आ जावे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के जोधपुर रोड पर ही लवां से 5–7 किलोमीटर आसपास अपनी उपस्थिति छिपातें हुए खडे रहे। समय करीब 02.45 पी.एम. पर परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास अपनी निजी मोटर साईकिल सें उपस्थित आया और बताया कि मै दो गवाह लेकर गवाह को बस स्टैण्ड लवां पर चौकी के आसपास छोड कर आया हू। जिस पर श्री जितेन्द्र मेवाडा स्वतन्त्र गवाह से सरकारी वहन के डेस बोर्ड में रखी हुई रिश्वति राशि पुनः परिवादी के कमीज की उपर की जेब में रखवाई गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के सरकारी वाहन से लवा बस स्टैण्ड के लिए रवाना हुए और परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम के साथ कानि. श्री भंवरलाल नम्बर 501 को उसकी मोटर साईकिल पर बिठाकर रवाना हुए। बस स्टैण्ड लवां पर कानि. श्री भंवरलाल सें डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी को समय करीब 03.00 पी.एम. पर पुलिस चौकी लवां के लिए रिश्वति राशि लेन देन के लिए रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान बस स्टैण्ड के आसपास अपनी उपस्थिति छिपातें हुए खडे रहे। समय करीब 03.46 पी.एम. पर परिवादी बिना ईशारें किये ही वापिस आया। जिससे डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया गया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी। परिवादी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक नें मेरे से रिश्वति राशि नही ली है। मै अपनें काका व काका के लडके को लेकर पुलिस चौकी लवां में गया था। मेरी आरोपी सें प्रकरण के हालात के सम्बन्ध में बातचीत हुई। तथा

आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक नें बताया कि एक तों मोबाईल बरामद कराओं और दो तीन गवाह और लेकर आओं उसके बाद ही रिश्वति राशि लूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवाराम सें उसकी कमीज की बांयी जेब में रखी रिवश्त राशि को एक कागज में लपेट कर रखवाई जाकर रिश्वति राशि के कागज कों सरकारी वाहन के डेस बोर्ड में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी का जब भी फोन आयें तों रिश्वत राशि लेन देन के लिए समय ले लेना। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता रखनें की हिदायत देकर ग्राम लवां में ही छोड कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के समय 04.10 पी.एम. पर स्पेशल यूनिट जोधपुर के लिए रवाना होकर जोधपुर पहुंच सरकारी वाहन की डेस बोर्ड से रिश्वति राशि कागज में रखी हुई को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई गई।

वक्त 06.35 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में दोनों स्वतन्त्र गवाह को कार्यवाही की गोपनीयता रखनें की हिदायत दी गई। साथ ही यह भी हिदायत दी गई कि जब भी कार्यालय सें ट्रेप कार्यवाही के बारें में फोन आयें तो तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होवे। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाह को कार्यालय से रूखसत किया गया।

दिनांक 16.05.2022 वक्त 08.00 ए.एम. पर परिवादी श्री देवाराम उर्फ देवीराम कार्यालय उपस्थित आया। जिसनें बताया कि मै ड्राईविंग के कार्य के सम्बन्ध में राजस्थान से बाहर गया हुआ था। इसलियें दिनांक 13 अप्रेल 2022 से बाहर होनें के कारण आपके समक्ष उपस्थित नही हो पाया। परिवादी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरे परिवार व विपक्षी पार्टी के बीच पुलिस चौकी लवां में समझौता हो जानें के कारण आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक अब मेरे से रिश्वति राशि नही लेगा। इस कारण अब ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही है। जिस पर ब्यूरों की कार्यवाही हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान को जरिये मोबाईल कानि. श्री भंवरलाल नम्बर 501 को कार्यालय में समय 09.30 ए.एम. पर उपस्थित होनें हेतु पाबन्द करनें हेतु निर्देशित किया गया।. जिस पर कानि. श्री भंवरलाल बेल्ट नम्बर 501 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि पूर्व में ट्रेप कार्यवाही में गवाह श्री जितेन्द्र मेवाडा कनिष्ठ अभियन्ता राजकार्य वश जयपुर गया हुआ है। और दूसरा गवाह श्री सौरभ पाराशर कनिष्ठ अभियन्ता को समय 09.30 ए. एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें हेतु पाबन्द किया गया। एक अन्य गवाह की आवश्यकता होनें के कारण सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम तहरीर जारी कर गवाह को समय 09.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत दी गई।

वक्त 09.30 ए.एम. पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से गवाह श्री मनोहरलाल पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट उम्र 54 साल निवासी ग्राम खारिया खंगार तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। साथ ही पूर्व से पाबन्द शुदा दूसरा गवाह श्री सौरभ पाराशर पुत्र श्री रविन्द्र पाराशर जाति ब्राहमण उम्र 38 साल निवासी 1 डी भगवान नगर बीजेएस कॉलोनी जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर उपस्थित आया। दोनों गवाह का परिवादी श्री देवाराम उर्फ देवीराम जाति भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम लवां तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर से परिचय कराया गया। गवाह श्री जितेन्द्र मेवाडा के राजकार्य से जयपुर गये हुए होनें पर जेडीए जोधपुर से अन्य गवाह श्री मनोहरलाल के उपस्थित होनें पर गवाह श्री मनोहर लाल को परिवादी श्री देवाराम द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिनांक 23.03.2022 को प्रस्तुत गोपनीय कार्यवाही हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट पढवायी गई। ट्रेप से सम्बन्धित हालात बतायें गये। फर्द पेशकसी एवं रिश्वति राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि को गवाह श्री मनोहरलाल को पढवायी गई। साथ ही रिश्वत राशि मांग के मुख्य अंश को भी गवाह श्री मनोहरलाल को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पडे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुनवाये गये। परिवादी श्री देवाराम उर्फ देवीराम से आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी लवां पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेंर द्वारा रिश्वति राशि लेन देन परिवादी पर शक हो जानें व परिवादी व परिवादी के दूसरी पार्टी के बीच समझौता हो जानें के कारण ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही है। जिस पर उक्त दोनों रूबरू गवाहान व परिवादी के रिश्वति राशि मांग सत्यापन व अन्य लेन देन से पूर्व रूबरू व मोबाईल वार्ताओं की फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 10.00 ए.एम पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री देवाराम उर्फ देवीराम एवं आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के मध्य दिनांक 23.03.2022 एवं दिनांक 28.03.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू एवं मोबाईल वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप कों दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री रामचन्द्र सिंह कानि. नम्बर 432 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री रामचन्द्र सिंह कानि. नम्बर 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने वार्तालाप में एक आवाज

स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व एक सीडी आरोपी की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई सीडीया मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को जमा करवानें हेतु सुपर्द की गई।

वक्त 12.10 पी.एम पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री देवाराम उर्फ देवीराम एवं आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के मध्य दिनांक 29.03.2022 को रिश्वती राशि लेन–देन से पूर्व मोबाईल पर व रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप को दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री रामचन्द्र सिंह कानि. नम्बर 432 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप श्री रामचन्द्र सिह कानि. नम्बर 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने वार्तालाप में एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व तीन सीडी आरोपीगण की मानकर तैयार की गई है।

अब तक की कार्यवाही सें आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री देवीराम उर्फ देवीराम पुत्र श्री पदमाराम जाति भील उम्र 30 साल निवासी ग्राम लवां तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर व उसके परिवार जनों के विरूद्व पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेंर में दर्ज प्रकरण में मदद करनें/नाम निकालनें की एवज में 25,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। परिवादी व उसके विपक्षी पार्टी के लोगों के बीच प्रकरण में समझौता हो जानें के कारण व परिवादी पर शक हो जानें के कारण आरोपी श्री नरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त नही की गई है।

अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री दीपाराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी गांव विश्नोईयान लोहावट जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी इन्चार्ज लवां पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेंर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया।

अतः श्री नरेश कुमार पुत्र श्री दीपाराम जाति मेघवाल उम्र 55 साल निवासी ग्राम विश्नोईया लोहावट जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी लवा पुलिस थाना पोकरण जिला जैसलमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित है।

(डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित)
पुलिस अधीक्षक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नरेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी लवा, पुलिस थाना पोकरण, जिला जैसलमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 226/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9/6/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 1992-96 दिनांक 09.06.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

9/6/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।